85

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 527–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–12–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 प्रकरण कमांक 197/अपील/2012–13.

1. मदन मोहन द्विवेदी पिता स्व0 कालिका प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
जिला सतना म0प्र0
2. विद्यादत्त द्विवेदी पिता स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
3. राम सजीवन द्विवेदी पिता स्व0 चन्द्रशेखर
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
4. विष्णु प्रसाद द्विवेदी पिता स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
5. लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी पिता स्व0 देवी प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. लोकनाथ द्विवेदी स्व0 कासी प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
2. श्रीमती देवरती पत्नि स्व0 कासीप्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
3. शरद कुमार द्विवेदी पिता स्व0 कासी प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
4. रावेन्द्र कुमार द्विवेदी पिता स्व0 कासी प्रसाद द्विवेदी
टी0आई0 अमरिया जिला उमरिया
5. श्रुति कीर्ति प्रसाद पिता स्व0 देवी प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
6. द्वारिका प्रसाद द्विवेदी पिता स्व0 देवी प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
7. रामखेलावन द्विवेदी स्व0 पिता हीरालाल द्विवेदी

निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
8. रामशिरोमणि द्विवेदी स्व0 पिता रघुवीर प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
9. रामशिव द्विवेदी स्व0 पिता हीरालाल द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
10. रामपाल द्विवेदी स्व0 पिता रघुवीर प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघलान
11. राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी स्व0 पिता सुन्दरलाल द्विवेदी
नौकरी सारनी बिजली विभाग जिला बैतूल
12. सुरेन्द्र कुमार द्विवेद पिता सुन्दरलाल द्विवेदी
नौकरी सी0आर0पी0 एफ0 काश्मीर
13. प्रवीण कुमार द्विवेदी स्व0 पिता कल्याण प्रसाद द्विवेदी
निवासी ग्राम दर्री कोरवा छत्तीसगढ़
14. अनिल द्विवेदी स्व0 पिता कल्याण प्रसाद द्विवेदी
पेशा नौकरी बिजली विभाग निवासी दर्री कोरवा छत्तीसगढ़
15. रजनीश द्विवेदी स्व0 पिता कल्याण प्रसाद द्विवेदी
पेशा नौकरी रेल विभाग निवासी ग्राम दर्री कोरवा छत्तीगढ़

——— अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक आवेदकगण
श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11 / 10/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना के आदेश दिनांक 23–12–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवपुरावा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के नामांतरण पंजी कमांक 01 वर्ष 2007–08 में

पारित आदेश दिनांक 09–1–08 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 23–12–15 को प्रकरण में प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन निरस्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के हैं। पंजी कमांक 1 दिनांक 09–1–2008 को ग्राम शिवपुरवा की आ0नं0 6/1, 7/1, 8/1, 100, 101, 49/3, 81, 105, 108/1ख, 110/2, 312/46, 334/68अ, 46, 330/64 कुल किता 14 आरजियों का बटवारा नामांतरण सभी सहखातेदारों की सहमति के आधार से विधिवत नामान्तरण पंजी में हस्ताक्षर बनाके इश्तहार का प्रकाशन करवा के विधि अनुसार तहसीलदार रामपुर बाघेलान के द्वारा नामान्तरण किया था। पटवारी ने खसरामें इस्तलावी दर्ज किया था। यह भी तर्क दिया कि दिनांक 23–12–15 को आवेदक कमांक 1 के द्वारा अन्तर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि कुल आदेशों के विरूद्ध अपील विशेष रूप से वर्जित है जहां सहमति का आदेश पक्षकारों के बीच सहमति से पारित हो उसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती। नामांतरण पंजी कमांक1 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 09–1–2008 के विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है। तर्क में यह भी कहा कि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 09–1–08 के विरूद्ध 5 वर्ष 5 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी जिसपर आवेदक द्वारा जबाव व तर्क का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदार की बिना सूचना या नोटिस दिये तथा बिना पक्ष समर्थन का अवसर दिये पारित कर दिया गया था। नामांतरण नियमों का

पालन न हीं किया गया और न ही इश्तहार की विधिवत प्रकाशन नहीं कराया गया। तर्क में यह भी कहा कि वास्तव मदनमोहन के सभी परिवार के सदस्यों को नुकशन पहचाने के लिए फर्जी कार्यवाही की गई है किसी भी हितबद्ध व्यक्ति ने खाता विभाजन व नामांतरण कार्यवाही में सहमति नहीं दी है। तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर खाता विभाजन एवं नामांतरण के आदेश दिये हैं जबकि खाता विभाजन एवं नामांतरण की कार्यवाही अलग–अलग होती है। तर्क में यह भी कहा कि जब आवेदक सहखातेदारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर किये बिना आदेश पारित किया गया था इसलिए जानकारी दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत अपील प्रस्तुत की गई है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के बटवारा नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 29–4–2013 को प्रकरण ग्राह्य किया जाकर आवेदकगण को सूचना जारी की गई और अभिलेख की मांग की गई। लगभग 2 वर्ष तक प्रकरण प्रचलित रहा तथा अभिलेख एवं प्रकरण के पक्षकार आहूत हुये। आवेदकगण द्वारा प्रकरण के प्रचलनशीलता के बिन्दु पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 23–12–15 को इस आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया कि अंतिम तर्क के समय आवेदन पेश किया जाने के कारण औचित्यहीन है। चूंकि पूर्व पेशी दिनांक 18–11–15 को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत था और अंतिम तर्क हेतु अवसर मांगा गया था और अनुविभागीय अधिकारी ने एक अवसर अंतिम तर्क हेतु प्रदान किया था। ऐसी स्थिति में प्रचलनशीलता के बिन्दु पर आवेदन प्रस्तुत करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रचलनशीलता का आवेदन निरस्त किया है।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनयमितता प्रकट नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23–12–2015 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर